मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010 (फाल्गुन 18, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009,

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009

(ग) दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009; तथा

(घ) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2734-म.प्र.विनिआ-2009 दिनांक 9 दिसम्बर, 2009,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, जबलपुर जिले में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, प्रदेश में औपचारिकेत्तर शिक्षा अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के मैहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग रेल्वे क्रासिंग पर पुल का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री परसराम मुदगल, मदन कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के वाणिज्यिक कर नाके पर अवैध वसूली किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के -

- (क) वार्ड नं. 18 के ईश्वर नगर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) वार्ड नं. 18 के खेतलपुर से चम्पाबिहार तक सीमेंट रोड निर्माण कराये जाने,
- (ग) मलवासा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,
- (घ) नगर में दो नये थाने खोले जाने,
- (ङ) ग्राम करमदी एवं आदिवासी मोहल्ला में पहुंच मार्ग बनाये जाने,
- (च) वार्ड नं. 48 में जल प्रदाय हेतु पाइप लाईन लगाये जाने, तथा
- (छ) वार्ड नं. 30 के डोसीगांव में सीमेन्टेड मार्ग बनाये जाने,

(2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के -

- (क) तहसील रामनगर के ग्राम बड़वार एवं अरगट की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ख) तहसील अमरपाटन के ग्राम करही की हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी में उन्नयन किये जाने,
- (ग) तहसील अमरपाटन के ग्राम मझगवां बड़वार, अमरपाटन एवं रामनगर में डाक्टरों की पदस्थापना किये जाने,
- (घ) तहसील अमरपाटन की ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जोड़े जाने,
- (ङ) तहसील अमरपाटन के ग्राम-झिन्ना कदवारी एवं मारकण्डेय को बाण सागर सिंचाई योजना से जोड़े जाने,
- (च) तहसील अमरपाटन के तिराहे पर वेयर बाउस तक नाली एवं सुलभ काम्पलेक्स निर्माण किये जाने,
- (छ) तहसील अमरपाटन की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,
- (ज) तहसील अमरपाटन की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,तथा
- (झ) तहसील अमरपाटन के ग्राम खरमसेंडा से जरियादी तक मार्ग जोड़े जाने,

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पंचायत जशवन्त नगर की उर नदी के कतकारी घाट पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत जशवन्त नगर की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम बैसा की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री श्रीकान्त दुबे, सदस्य, जिला पन्ना को केन नदी से पानी सप्लाई किये जाने,

(5) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम पंचायत निजामपुर के ग्राम खोडन बम्हरी ए.बी. रोड कलोधरा तक मार्ग स्वीकृत किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. सामाजिक न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव , सामाजिक न्याय मंत्री, दिनांक 6 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 669) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

7. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या - 1	सामान्य प्रशासन
		मांग संख्या - 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास
		मांग संख्या - 65	विमानन.
2 घन्टे	(2)	मांग संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास -नगरीय निकाय
		मांग संख्या - 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
		मांग संख्या - 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.
	(3)	मांग संख्या - 6	वित्त
		मांग संख्या - 7	वाणिज्यिक कर
		मांग संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
		मांग संख्या - 50	बीस सूत्र कार्यान्वयन
		मांग संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
		मांग संख्या -61	बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय.
2 घन्टे	(4)	मांग संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार
		मांग संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
		मांग संख्या - 56	ग्रामोद्योग
		मांग संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी
		मांग संख्या - 78	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
2 घन्टे 30 मि.	(5)	मांग संख्या -21	आवास एवं पर्यावरण
		मांग संख्या - 23	जल संसाधन
		मांग संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट
		मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
		मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

भोपाल :
दिनांक : 8 मार्च, 2010

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.